"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 जून 2010— ज्येष्ठ 21, शक 1932

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं लीलकंठ साहू आत्मज श्री गजानंद साहू, उम्र 47 वर्ष, निवासी ग्राम बोहारडीह पोस्ट सांतरा तह. पाटन जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम नीलकंठ साहू रख लिया हूं. इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे नीलकंठ साहू आत्मज श्री गजानंद साहू के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
लीलकंठ साहू आत्मज-श्री गजानंद साहू निवासी-ग्राम बोहारडीह तहसील-पाटन जिला-दुर्ग (छ. ग.)	नीलकंठ साहू आत्मज-श्री गजानंद साहू निवासी-ग्राम बोहारडीह तहसील-पाटन जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं सुधीर कुमार बापट आत्मज श्री बालकृष्ण बापट, उम्र 52 वर्ष, निवासी एफ-1, पंचशील नगर, पी. एच. ई. कालोनी, रायपुर (छ. ग.) का हूं. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम सुधीर बालकृष्ण बापट रख लिया हूं. इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे सुधीर बालकृष्ण बापट आत्मज श्री बालकृष्ण बापट के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
सुधीर कुमार बापट आत्मज-श्री बालकृष्ण बापट निवासी - एफ-1, न्यू पंचशील नगर, पी. एच. ई. कालोनी, रायपुर (छ. ग.)	सुधीर बालकृष्ण बापट आत्मज-श्री बालकृष्ण बापट निवासी - एफ-1, न्यू पंचशील नगर, पी. एच. ई. कालोनी, रायपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं हरिशचन्द्र यादव पिता स्व. रेखराम यादव, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम कुरूद, पोस्ट पांडुका, तहसील छुरा, जिला रायपुर (छ. ग.) का हूं. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम हरीश यादव रख लिया हूं. इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे हरीश यादव पिता स्व. रेखराम यादव के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
हरिशचन्द्र यादव पिता-स्व. रेखराम यादव निवासी - ग्राम कुरूद, पोस्ट पाण्डुका तहसील-छुरा, जिला रायपुर (छ. ग.)	हरीश यादव पिता-स्व. रेखराम यादव निवासी - ग्राम कुरूद, पोस्ट पाण्डुका तहसील-छुरा, जिला रायपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं मीना लव्हारे पिता स्व. आत्माराम, निवासी मारूति इन्वलेव, महुआ बाजार, टाटीबंध, रायपुर (छ. ग.) की हूं. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम मीना रख लिया हूं. इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे मीना पिता स्व. आत्माराम के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
मीना लव्हारे पिता-स्व. आत्माराम निवासी - मारूति इन्वलेव महुआ बाजार, टाटीबंध रायपुर (छ. ग.)	मीना पिता-स्व. आत्माराम निवासी - मारूति इन्वलेव महुआ बाजार, टाटीबंध रायपुर (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं लोक न्यास अधिकारी खरसिया जिला रायगढ़ (छ.ग.)

खरसिया, दिनांक 14 मई 2010

प्रकरण क्रमांक 01/बी 113/2009-10

साकिन - मौहापाली, तहसील-खरसिया

बाबा पं. श्री गोपीनाथ जी महाराज
श्री शक्तिपीठ मां काली मंदिर, प्रबंधक
ट्रस्ट परेवा पहाड़ महुआपाली, तहसील
खरसिया जिला रायगढ़ (छ. ग.) - आवेदक

बनाम

छत्तीसगढ़ शासन - अनावेदक

आदेश

(पारित दिनांक 10-5-2010)

क्रमांक 43/प्रस्तु-1/2010.—यह प्रकरण आवेदक बाबा पं. गोपीनाथ श्री शक्ति पीठ मां काली मंदिर प्रबंधक ट्रस्ट परेवा पहाड़ महुआपाली, तहसील खरसिया जिला रायगढ़ (छ. ग.) द्वारा लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हुए परेवा पहाड़ स्थित मां काली मंदिर को ट्रस्ट हेतु पंजीयन बाबत निवेदन करते हुए गठित ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य धार्मिक होना बताया है.

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर न्यायालय में मद बी 113 में प्रकरण दर्ज किया गया एवं ग्राम मौहापाली में ईश्तहार जारी कर दावा आक्षेप आमंत्रित किया गया, नियत दिनांक तक कोई आक्षेप/दावा प्राप्त नहीं हुआ.

आवेदक द्वारा ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य धार्मिक होना बताया है. मंदिर में जन सहयोग से कार्य करना उल्लेख किया गया है. आवेदक द्वारा मंदिर में मां काली की प्रतिमा व साज सज्जा तथा कलश ज्योति होना बताया है. साथ ही मंदिर को किसी प्रकार की ऋण तथा भार से मुक्त होना बताया है.

अस्तु आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन उल्लेखित ट्रस्टियों की सूची से सहमत होते हुए ग्राम मौहापाली तहसील खरसिया स्थित परेवा पहाड़ स्थित मां काली मंदिर हेतु निम्नांकित व्यक्तियों को ट्रस्टी घोषित किया जाता है.

ट्रस्टियों की सूची पदनाम सहित

बाबा पं. श्री गोपीनाथ जी महाराज प्रबंधक (सर्वराकार)

क्र.	नाम व पिता का नाम	स्थान	पद नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री बनवारीलाल/खुशीराम अग्रवाल	खरसिया	संरक्षक
2.	" बजरंगलाल अग्रवाल/स्व. लखीराम अग्रवाल	"	संरक्षक

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	श्री ए. के. प्रधान/शनिराम प्रधान	बिलासपुर	संरक्षक
4.	" पी. एस. सिकरवार, सेवानिवृत्त संयुक्त कलेक्टर रायगढ़ एवं अधिवक्ता.	बिलासपुर	संरक्षक
5.	श्रीमति अहिल्या सिंह ठाकुर, रतनपुर	बिलासपुर	संरक्षक
6.	श्रीमति अनुसूईया राजपूत, अधिवक्ता हाईकोर्ट	बिलासपुर	संरक्षक
7.	कुमारी दीपाली पाण्डेय, अधिवक्ता हाईकोर्ट	बिलासपुर	संरक्षक
8.	श्री संजय मित्तल/बनवारीलाल मित्तल	खरसिया	अध्यक्ष
9.	" लूकराम पटेल/आनंदराम पटेल	मौहापाली	उपाध्यक्ष
10.	" आनंद/श्यामसुन्दर अग्रवाल	खरसिया	सचिव
11.	" हरिनारायण गोयल/स्व. नेतराम गोयल	खरसिया	कोषाध्यक्ष
12.	" संजय शर्मा/ओम प्रकाश शर्मा	खरसिया	सदस्य
13.	" गंगाराम/उजितराम राठिया	मौहापाली	"
14.	" हनुमान/गजानंद अग्रवाल	खरसिया	"
15.	" मदन/स्व. गोपीराम गर्ग	खरसिया	"
16.	" नटवर/पन्नालाल मित्तल	खरसिया	"
17.	" राजेश/महावीर प्रसाद कबुलपुरिया	खरसिया	"
18.	" विनय/बिसन अग्रवाल	खरसिया	"
19.	" दिलीप/नरेशकुमार अग्रवाल	खरसिया	"
20.	" रणधीर/स्व. सुरजभान शर्मा	खरसिया	"
21.	" धनश्याम/स्व. छोटेलाल अग्रवाल	खरसिया	"
22.	" कुलदीप/स्व. मल्ला सिंह हुर्रा	खरसिया	"
23.	" भीमकुमार/गोपीनाथ	मौहापाली	"
24.	" बुधराम/ननकी राम राठिया	मौहापाली	"
25.	" रेशम/हीरा राम पटेल	मौहापाली	"

(1)	(2)	(3)	(4)
26.	श्री महेश कुमार/अ[illegible]लाल राठौर	पुरानी बस्ती खरसिया	सदस्य
27.	" दयाराम/दुकालूराम	मौहापाली	"

आवेदक ट्रस्ट में होने वाले आमदनी का ब्यौरा रखेगा तथा प्रति तीन वर्ष में आडिट कराकर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा.

अस्तु उपरोक्तानुसार ग्राम मौहापाली, तहसील खरसिया, जिला रायगढ़ परेवा पहाड़ स्थित श्री शक्ति पीठ मां काली मंदिर को ट्रस्ट घोषित किया जाता है.

आदेश आज दिनांक 10-5-2010 को पारित एवं घोषित.

प्रवीण मिश्रा
अनुविभागीय अधिकारी एवं लोक न्यास
अधिकारी.

कार्यालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, अम्बिकापुर, सरगुजा छ.ग.

अम्बिकापुर, दिनांक 25 मई 2010

प्ररूप-चार
[नियम 5 (1) देखिए]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1961 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) तथा छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 का उपनियम (1) देखिए.]

क्रमांक/वाचक-01/2010.— यह कि श्रीमती सरस्वती देवी पत्नी स्व. पदम दत्त, निवासी बद्रीपुर हल्द्वानी वर्तमान निवासी पटपरिया, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा ने छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1961 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 22-06-2010 को विचार के लिए लिया जाएगा.

कोई भी व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसके लिए गठित की जाती है.

अत: मैं, तीर्थराज अग्रवाल, अनुविभाग अम्बिकापुर के लोक न्यासों के पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 22-06-2010 को उक्त अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (1) में अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी मत या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक पक्ष के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और मेरे न्यायालय में समक्ष में उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जायेगा.

अनुसूची
(लोक न्यास का नाम, पता और संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम और पता	:	पद्म सरस्वती एजुकेशनल ट्रस्ट अम्बिकापुर जिला सरगुजा
2.	चल संपत्ति	:	निरंक
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

जारी दिनांक 25-05-2010.

तीर्थराज अग्रवाल
पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 6 मई 2010

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1)(2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2009/2010/820.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/ 342 /बिलासपुर, दिनांक 7-3-07 के तहत गौण खनिज सहकारी समिति मर्यादित, चिचगोंदना, पंजीयन क्रमांक 3339 दिनांक 23-9-96 विकासखण्ड मरवाही जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत श्री आर. के. गुप्ता, तात्कालिक सहकारिता विस्तार अधिकारी मरवाही को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5 1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 05-05-2010 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

एन. कुजूर,
सहायक पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2010.